

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मुख्यालय मध्यप्रदेश

परिपत्र-18

क्रमांक पॉच-17/ 4918 /प्रशि0(2)बी/2018, जबलपुर, दिनांक 19-06-2018

प्रायः देखने में आया है कि भरती एवं अन्य गोपनीय कार्य ऐसे लोगो से कराया जाता है जिनके द्वारा गोपनीयता भंग कर जानकारी अन्य लोगो तक पहुँचा दी जाती है जिसके कारण न केवल विभाग की छबि धूमिल होती है बल्कि कानूनी/न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना भी करना पड़ता है। भविष्य में ऐसी स्थिति निर्मित न हो इसलिए निर्णय लिया गया है कि भरती एवं अन्य गोपनीय कार्य अथवा उससे संबंधित टायपिंग कार्य केवल नियमित अधिकारी/कर्मचारी अथवा विश्वसनीय व्यक्ति से ही कराया जावें ताकि कार्य की गोपनीयता बनी रहे और बिना किसी विवाद के कार्य सम्पन्न हो सके।

समस्त सावधानियों के बाद भी यदि गोपनीयता भंग होती है तो तत्काल जाँच कर दोषी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावें कि संबंधित को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही उसके विरुद्ध सक्त अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जावें।

(महान भारत सागर)
19.6.18
डायरेक्टर जनरल

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं

आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक पॉच-17/ 4919 /प्रशि0(2)बी/2018, जबलपुर, दिनांक 19-06-2018
प्रतिलिपि:-

- 1- कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मध्यप्रदेश होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स, मंगेली जबलपुर।
 - 2- समस्त डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, मध्यप्रदेश।
 - 3- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, मध्यप्रदेश।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

डायरेक्टर जनरल
19.6.18

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं

आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश

आंतरिक:-

पी0एस0 टू डी0जी0
पी0एस0 टू ए0डी0जी0
पी0एस0 टू ए0सी0जी0
पी0एस0 टू एस0एस0ओ0 (स्था0/प्रशि0/वित्त)
जे0एस0ओ0 (स्था0/प्रशि0)/ए0ओ0/
ओ0एस0/आडीटर/रिकार्ड